न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म०प्र०)

निगरानी/टीकमगढ/भू.रा/2018/1964

प्र.क्र- ...../टीकमगढ/निग./भू.रा.संहिता/2017-18

1. धर्मपाल सिंह आत्मज स्व.श्री पूरन सिंह ठाकुर उम्र 78 वर्ष

2. रघुराज सिंह आत्मज स्व.श्री पूरन सिंह ठाकुर उम्र 75 वर्ष

दोनो निवासीयान ग्राम खेरा तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ म0प्र0।

.....निगरांकारगण/आवेदकगण

बनाम

1. मोहन लोधी तनय श्री रामचरण लोधी उम्र 40 वर्ष

2. महिला गुडडीवाई लोधी पत्नी श्री खूबचंद्र लोधी उम्र 35 वर्ष

दोनो निवासीयान ग्राम फुटेर चक्र 1 तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ म0प्र0।

3. मध्य प्रदेश शासन

.....प्रतिनिगरांकारगण/अनावेदकगण

पुनर्रीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध सीमांकन आदेश दिनांक 16.02.2018 विदवान अधीनस्थ न्यायालय रा.निरीक्षक तह.खरगापुर जिन्होने प्र.क. 07/अ-12/2017-18 मोहन लोधी/गुडडी लोधी तनय रामचरन एवं पत्नी खूबचंद्र लोधी निवासी शिवनगर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ म0प्र0 के आवेदन पत्र पर अवैध व अनियमित ढंग से तथा हितबद्व पक्षकार/निगरांकारगण व पडौसी कृषिको विधिवत सूचना दिए बगैर सीमांकन सबंधी नियमो का खुला उल्लंघन करते हुए उक्त सीमांकन किया गया। जिसमे निगरांकारगण के स्वामित्व की वहुत सी भूमि उक्त मोहन लोधी/गुडडीवाई लोधी के पक्ष मे अवैध रूप से कर दी गयी।

महोदय,

पुनर्रीक्षण/निगरानी के प्रमुख आधार सादर निम्न प्रकार है :-

1. यहकि अधीनस्थ रा.नि.तहसील खरगापुर द्वारा मोहन लोधी/गुडडीवाई लोधी पिता/पत्नी/पति रामचरन/खूबचंद्र लोधी निवासी शिवनगर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ म0प्र0 के आवेदन

...2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/1964

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक तह0 खरगापुर जि0 टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 23.01.2018 को ग्राम शिवनगर स्थित भूमि खसरा नं. 124, 126, 127, 129, 130/1, 135, 136, 137 कुल रकवा 4.933हे. का सीमांकन सभी हितबद्ध कृषकों की उपस्थिति में ईटीएस मशीन द्वारा हल्का पटवारी द्वारा किया गया है। सीमांकन दिनांक से दिनांक 16.02.2018 तक किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किए जाने के कारण सीमांकन स्वीकृत करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे कि उक्त सीमांकन में कोई त्रुटि दर्शित होती हो। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	